(190)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3212-दो/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-9-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 418/2013-14 अपील

1- सत्रुधनसिंह पुत्र लगनधारी
2- महीपतसिंह पुत्र लगनधारी
3- पंजाब सिंह पुत्र लगनधारी
4- मु0गोरबा पत्नि स्व.लगनधारी
सभी ग्राम कंजरा तहसील मउगॅज
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

भुवर सिंह पुत्र राजभान सिंह
ग्राम कंजरा तहसील मउगंज
जिला रीवा मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री वीरेन्द्र सिंह)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक २१ -6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 418/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-9-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मउगॅज के यहॉ आवेदन प्रस्तुत कर सामिलाती भूमि (तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-12-13 में अंकित अनुसार) कुल किता 22 कुल रकबा 2.701 हैक्टर एंव अन्य भूमि सर्वे कमांक 123/1 तथा 268 के बटवारे की मांग की। तहसीलदार मउगंज ने प्रकरण कमांक 115 अ-27/11-12 पॅजीबद्व किया एंव पक्षकारों को सुनकर आदेश

दिनांक 12-12-2013 पारित किया तथा तैयार कराई गई फर्द अनुसार बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज ने प्रकरण कमांक 28 अ-27/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2014 से अपील खारिज कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 418/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-9-2015 से अपील खारिज की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनके द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मउगंज के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत प्रस्तुत मूल दावे में दावाकर्ता ने सजरा-खानदान अंकित करते हुये ग्राम कंजरा स्थित सामिलाती कुल किता 22 कुल रकबा 2.701 हैक्टर एंव अन्य भूमि सर्वे कमांक 123/1 तथा 268 के बटवारे की मांग की है । तहसीलदार ने जॉच में पाया है कि कुल किता 22 कुल रकबा 2.701 हैक्टर भूमि पक्षकारों की पैत्रिक भूमि होकर सामिलाती दर्ज है जो पुस्तैनी भूमि है तथा ख0नं0 122 में भुअर सिंह का कुआ है जो उभय पक्ष का सामिलाती है । ख0नं0 122 पर निर्मित कुये के संबंध में की गई आपत्ति को तहसीलदार ने जॉच में गलत पाया है। हलका पटवारी द्वारा मौके पर बनाई गई पुल्ली (फर्द) पर आपत्ति की गई , तब तहसीलदार ने पक्षकारों की संतुष्टि हेतु पुनः पुल्ली (फर्द) तैयार करवाई है जिस पर पक्षकार सहमत भी हुये हैं जिसके कारण तहसीलदार मउगंज ने आदेश दिनांक 12-12-13 से फर्द बटवारा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मउगंज द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण कमांक 115 अ-27/11-12 में आदेश दिनांक

12-12-2013 पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज ने प्रकरण कमांक 28 अ-27/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2014 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 418/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-9-2015 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 418/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-9-2015 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर